न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2012 G.C.M.S. No. 2012/00011 दर्ज दिनांक : 10.01.2012

अपीलार्थिगण:

1. मुस्मात केसी बैवा भीखाराम के वारिसान
   अ– भभूताराम पुत्र अनाराम के वारिसान
   1. नारायण लाल पुत्र भभूताजी मीणा
   2. पवनी देवी पत्नी स्व. नाथूराम मीणा
   3. निखील पुत्र स्व. नाथूराम मीणा
   4. अतुल कुमार पुत्र स्व. नाथूराम मीणा

   ब– निम्बाराम पुत्र अनाराम
   स– जेठा पुत्र अनाराम
2. नरसा पुत्र ओटाजी के वारिसानः–
   अ– कलाराम पुत्र नरसा लावारिस फौत
   ब– जगाराम पुत्र नरसा के वारिसान
   क– रामारामा पुत्र जगाराम
3. पुरा पुत्र नेमाजी के वारिसान
   अ– तोगाराम पुत्र पूरा
4. भूबा पुत्र नेमाजी फौत के वारिसान
   अ– भगाराम पुत्र भूबा फोत
   ब– लाला पुत्र मगा लावारिस फौत
   स– वगताराम पुत्र भूबा
5. राजा पुत्र डूंगाजी के नजदीकी वारिसान
   अ– भबूता पुत्र अना के वारिसान
   1. नारायण लाल पुत्र भभूताजी मीणा
   2. पवनी देवी पत्नी स्व. नाथूराम मीणा
   3. निखील पुत्र स्व. नाथूराम मीणा
   4. अतुल कुमार पुत्र स्व. नाथूराम मीणा

   ब– जेठा पुत्र अना
   स– नीबा पुत्र अना
   द– नवली बैवा अना
6. हीरा पुत्र डूंगा जी के वारिसान
   अ– लीलाराम पुत्र हीरा
7. भबुता पुत्र अना के वारिसान
   1. नारायण लाल पुत्र भभूताजी मीणा
   2. पवनी देवी पत्नी स्व. नाथूराम मीणा
   3. निखील पुत्र स्व. नाथूराम मीणा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. अतुल कुमार पुत्र स्व. नाथूराम मीणा

8. जेठा पुत्र अनाजी

9. नीवा पुत्र अनाजी

10. नवली बैवा अन्नाजी समस्त जातियान मीणा, निवासी चंवरली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रूपाराम पुत्र गलबाजी
2. छोगाराम पुत्र गलबाजी के वारिसान
   अ– राधादेवी पत्नी छोगाराम
   ब– अमृतलाल पुत्र छोगाराम
   स– पवनी पुत्री छोगाराम
   द– सुका पुत्री छोगाराम
   य– पार्वती पुत्री छोगाराम निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाड़ा
3. वदाराम पुत्र गलबा
4. वरदाराम पुत्र गलबाजी के वारिसान
   अ– सुरेश कुमार पुत्र वरदाराम निवासी कोजरा
   ब– प्रवीण कुमार पुत्र वरदाराम निवासी कोजरा
5. भगला पुत्र हिन्दू जी के वारिसान
   अ– मोहनराम पुत्र भगला
   ब– कूपाराम पुत्र भगला
6. शंकर पुत्र पूरा
7. मानाराम पुत्र मगाराम
8. मीठू पुत्र नेमाजी के वारिसान
   अ–वनाराम पुत्र मीठू
   ब– हाकमाराम पुत्र मीठू
9. नेनी बैवा कूपा के वारिसाान
   अ– टीपली पुत्र कूपा
   ब– सोमली पुत्री कूपा समस्त जातियान मीणा, निवासी चवरली, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/1982 बअनवान रूपाराम बनाम केसी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.1987 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दिनेश कुमार सुराणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 28.04.2026

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/1982 बअनवान रूपाराम बनाम केसी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.1987 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादीगण का यह कथन था कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीद की गई। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तनकी कायम नहीं कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को भली भाति नहीं समझकर भारी भूल की है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बाबत तनकी संख्या 01 काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय में तनकी संख्या 01 को तय करने का भार वादीगण रेस्पोडेन्ट पर था। वादीगण/अपीलांटस ने अपनी प्लीडिंग्स में एडवर्स पजेशन की कोई इस्तदुआ नहीं चाही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त एडवर्स पजेशन के आधार पर तनकी संख्या 01 को निर्णित कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स पर था। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्ट उक्त तनकी को साबित नहीं कर सके। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तनकी को वादीगण/रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध तय कर देना चाहिये था फिर भी उक्त तनकी को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादी/रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में तय कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 03 को तनकी संख्या 01 की आड़ में बिना कोई आधार के अपीलांट के विरूद्ध तय कर भारी भूल की है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.1987 को खारिज फरमाया जाकर रेस्पोडेंट वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.1987 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 10.01.2012 को दीर्घ विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. विंलबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा वादग्रस्त भूमि उनकी पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। दिनांक 20.11.2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 अपीलांट के खातेदारी खेत पर आये और उन्हे कब्जा छोडने को कहा। तत्पश्चात अपीलांट एक राय होकर पटवारी हल्का के पास गये तथा रेकर्ड की जानकारी ली, तब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को रेकर्ड देखकर बताया कि उनके खिलाफ एसडीओ कोर्ट ने दिनांक 22.07.87 को फैसला किया। जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। दिनांक 21.11.2011 को नकल के लिए आवेदन किया तथा दिनांक 25.11.2011 को नकल प्राप्त हुई। अतः अपीलांट की अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अन्दर म्याद शुमार फरमावे।

3. पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.1987 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 01 वारिस, अपीलांट संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 03 के वारिस, अपीलांट संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 04 का वारिस, अपीलांट संख्या 04 प्रतिवादी संख्या 05 के वारिस, अपीलांट संख्या 05 प्रतिवादी संख्या 09 के वारिस, अपीलांट संख्या 06 प्रतिवादी संख्या 10 के वारिस, अपीलांट संख्या 07 प्रतिवादी संख्या 11 के वारिस, तथा अपीलांट संख्या 8, 9, 10 प्रतिवादी संख्या 12, 13 व 14 के रूप में पक्षकार रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना एवं प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता नियुक्त होकर पेरवी किया जाना अवलोकन मात्र से स्पष्ट है। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन व निर्णित अपीलाधीन प्रकरण की आरम्भ से ही न केवल बखूबी जानकारी थी बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा असालतन व वकालतन बखूबी कन्टेस्ट भी किया गया, अतः ऐसी स्थिति में विलम्ब के कारण के रूप यह अंकित करना कि उन्हे दिनांक 20.11.2011 को अप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा खेत पर आकर कब्जा छोड़ने एवं यह कहने कि यह जमीन हमारी है। हमारे पक्ष में कोर्ट का फैसला है तथा जमीन हमारे नाम है तब प्रार्थीगण द्वारा एक राय होकर पटवारी के पास जाने व पटवारी द्वारा रिकॉर्ड देखकर एसडीओ कोर्ट से दिनांक 22.07.1987 को फैसला होने का बताने तथा दिनांक 25.11.2011 को फैसले की नकल प्राप्त होने से जानकारी होने का कथन पूर्णतया भ्रामक, आधारहीन, काल्पनिक व बनावटी है। जो स्वीकार्य योग्य नही है। प्रार्थीगण द्वारा न तो दिन प्रतिदिन के विलम्ब के लिए कोई कारण दर्शित किए है एवं न ही **8938 के अत्यन्त दीर्घ विलम्ब** कारित करने के लिए कोई युक्तियुक्त, सदभाविक व समुचित कारण दर्शित किए है।

4. अपीलांट्स प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों व उज्र के समर्थन में कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किए हैं। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा महज मौखिक कथन करते हुए विलंब के रूप में दर्शित कारण काल्पनिक रूप से अंकित किए हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को विधिविरूद्ध या आरंभतः शून्य प्रकरण भी नहीं माना जा सकता।

5. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :—

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.
4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent

has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

6. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 8938 **दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **8938 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली